सीमाशुल्क

टिप्पण : *(क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।*
(ख) "प्रतिशुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क के अधीन उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

सीमाशुल्क के बारे में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. मूल्यानुसार सीमाशुल्क की उच्चतम दर में कमी

- सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 30% से कम करके 25% कर दिया गया है। तथापि, कृषि और दुग्ध उत्पादों पर कोई कटौती नहीं की गई है।

ख. अलौह धातुएं:

(1) आयातकर्ता के वर्ग पर ध्यान न देते हुए, निकिल पर सीमाशुल्क को एकीकृत करके 5% और 15% से 10% कर दिया गया है।
(2) सीसे पर सीमाशुल्क को 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।

ग. सूचना प्रौद्योगिकी:

(1) सूचना प्रौद्योगिकी करार की प्रतिबद्धता के अनुसार, 12 विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक संघटकों पर सीमाशुल्क में कमी की गई है।
(2) विनिर्दिष्ट दूरसंचार पूंजी उपस्करों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 15% कर दिया गया है।
(3) प्रकाशिक तन्तु केबलों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।
(4) आधारिक टेलीफोनी, सेलूलर मोबाइल टेलीफोनी, आदि के लिए विनिर्दिष्ट दूर संचार उपस्कर पर 5% के रियायती सीमाशुल्क को तारीख 31.3.2004 तक जारी रखा गया है।
(5) ई-ग्लास रोविंग के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 15% कर दिया गया है।
(6) राऊटरों मोडमों और स्थिर वायरलैस टर्मिनलों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।

घ. विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क:

- शैल फास्फेट और कच्चे या अपरिष्कृत सल्फर को भी विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

ङ. पेट्रोलियम:

1) एलएनजी के पुनः गैसीयकरण संयत्रों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
2) मोटर स्प्रिट और उच्च गति डीजल तेल पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त सीमाशुल्क को 1 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

च. स्वास्थ्य:

1) विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और जीवन रक्षक उपस्करों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। इन मदों पर प्रतिशुल्क को उन्हें उत्पाद-शुल्क से छूट देकर शून्य कर दिया गया है।
2) 88 विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और जीवन रक्षक चिकित्सीय उपस्करों, जिन पर इस समय 5% का सीमाशुल्क है, को उत्पाद-शुल्क से छूट देकर शून्य कर दिया गया है।
3) ग्लुकोमीटर और ग्लुकोमीटर परीक्षण पट्टियों पर सीमाशुल्क 10% से कम करके 5% कर दिया गया है।
4) रूक्ष नेत्र प्रदाह ब्लैंक पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
5) विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सीय औषधियों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।
6) भेषजी उद्योग द्वारा सन्दर्भ मानकों के आयात पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।
7) सीएपीडी द्रव प्रणाली के पुर्जों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।
8) नैदानिक परीक्षणों के लिए औषधियों और सामग्रियों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
9) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के पास रजिस्ट्रीकृत क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विनिर्दिष्ट माल का आयात 5% के सीमाशुल्क की रियायती दर पर अनुज्ञात किया गया है।
10) श्रवण सहायक और उनके पुर्जों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क से भी छूट दी गई है।
11) निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रचों, पहिएदार कुर्सियों, घुमावदार फ्रेमों और तिपहिया साइकिलों (चाहे उनमें मोटर लगी है अथवा नहीं) पर सीमाशुल्क 5% से कम कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क और प्रतिशुल्क से भी छूट दी गई है।
12) पहिएदार कुर्सियों के पुर्जों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क और प्रतिशुल्क से भी छूट दी गई है।
13) ब्रेलरों और कृत्रिम अंगों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क से भी छूट दी गई है।

छ. टेक्सटाइल:

1) परिधान श्रेणी की कच्ची ऊन पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।
2) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल मशीनों और उनके पुर्जों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
3) पैराजाइलीन पर सीमाशुल्क 10% से कम करके 5% कर दिया गया है।

ज. अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं:

1) लिकर पर सीमाशुल्क को 182% से घटा कर विश्व व्यापार संगठन की 166% की आबद्ध दर पर लाया गया है।
2) शुष्कित द्राक्षों और सुगन्धित पदार्थों पर आधारित निर्मितियों पर, जिन्हें एल्कोहलिक सुपेयों के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, सीमाशुल्क विश्व व्यापार संगठन की आबद्ध दर से कम 5 प्रतिशत के निकटतम गुणज तक कम किया गया है।
3) बैंकाक करार तथा अधिमानी क्षेत्र करार के अधीन, सीमाशुल्क की अधिमानी दरें ,उन मालों की बाबत वहां कम की गई हैं जहां शुल्क की एमएफएन दर कम की गई है।

झ. मद्यसारिक सुपेय

*मद्यसारिक सुपेयों पर प्रतिशुल्क निम्नवत् उपांतरित किया गया है :-

	लिकर		शराब और बीयर		
	सीआईएफ कीमत प्रति केस (9 लीटर)	प्रतिशुल्क की दर		सीआईएफ कीमत प्रति केस (9 लीटर)	प्रतिशुल्क की दर
1.	10 $ से अनधिक	150%	1	25 $ से अनधिक	75%
2.	10 $ से अधिक किन्तु 20 $ से अनधिक	100% (न्यूनतम 40 $)	2	25 $ से अधिक किन्तु 40 $ से अनधिक	50% (न्यूनतम 37 $)
3.	20 $ से अधिक किन्तु 40 $ से अनधिक	50% (न्यूनतम 53.2 $)	3	उपरोक्त 40 $	20% (न्यूनतम 40 $)
4.	उपरोक्त 40 $	25% (न्यूनतम 53.2 $)			

ञ. जैव-प्रौद्योगिकीः

1) अनुसंधान और विकास के लिए विनिर्दिष्ट औषधीय और जैव-प्रौद्योगिकी उपस्कर को उनके वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से रजिस्ट्रीकृत होने के अध्यधीन छूट दी गई है। 20 करोड़ रुपए के न्यूनतम निर्यात आवर्त की शर्त, और निर्यात मूल्य के केवल 1% तक छूट की उपलब्धता पर निबंर्धन को हटा दिया गया है।

2) किसी ऐसे विनिमार्ता, जिसके पास रजिस्ट्रीकृत अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट औषधीय तथा जैव-प्रौद्योगिकी उपस्कर पर सीमाशुल्क को उसके निर्यात आवर्त के 25% तक छूट दी गई है।

ट. यात्री सामानः

- यात्री सामान पर सीमाशुल्क 60% से घटाकर 50% कर दिया गया है।

ठ. विद्युतः

1) विनिर्दिष्ट मेगा विद्युत परियोजनाओं पर सीमाशुल्क छूट को सभी मेगा विद्युत परियोजनाओं पर विस्तारित किया गया है।

2) उच्च वोल्टता विद्युत परेषण के लिए विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।

ड. चायः

1) संघ के प्रयोजनों के लिए चाय और चाय अपशिष्ट पर 1 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से अतिरिक्त सीमाशुल्क को उद्गृहीत किया गया है।

ढ. निर्यात संवर्धन उपायः

1) क्रमशः संख्यांकित स्वर्ण ईटों, जिनका भार मीट्रिक इकाइयों में उपदर्शित किया गया है और स्वर्ण सिक्कों पर सीमाशुल्क प्रति 10 ग्राम 250 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। 100 रुपए की घटी दर तोला छड़ों पर लागू नहीं होगी।

2) कर्तित तथा पालिशकृत हीरकों/रत्नों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।

3) कच्चे रंजित रत्नों और अर्द्ध-प्रसंस्कृत आधे कटे या टूटे हीरकों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

4) प्रशीतित ट्रकों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।

ण. परिवहनः

1) सीकेडी प्रकार के सिवाय सभी अन्य प्रकारों की कारों पर, जिनमें पूर्णतः निर्मित यूनिट भी है, 60% की दर से सीमाशुल्क लगेगा। पुरानी कारों पर 105% की दर से सीमाशुल्क जारी रहेगा।

2) लोको अनुरूपकों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।

3) डीजल लोकोमोटिव के लिए पुर्जों, डीसी लोको से एसी लोको में संपरिवर्तन के लिए पुर्जों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 15% कर दिया गया है।

त. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधिः

- उपरोक्त निधि की पुनःपूर्ति के लिए, आयातित अपरिष्कृत तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन का शुल्क अधिरोपित किया गया है। पालिएस्टर फिलामेंट सूत, दोपहिया मोटर यानों और बहुउपयोगिता वाले यानों पर 1% शुल्क अधिरोपित किया गया है। यह शुल्क 1 वर्ष (29.2.2004 तक) के लिए विधिमान्य होगा।

थ. प्रकीर्णः

अधिसूचनाओं/नियमों के माध्यम से परिवर्तन

1) वायु प्रचालित विद्युत जनरेटरों के चार विनिर्दिष्ट पुर्जों पर 5% का रियायती सीमाशुल्क वापस ले लिया गया है।

2) शंख सीपों पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।

3) लाक्षा बीजों पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।

4) ओलियो देवदार रेजिन पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।

5) गुटिका में झींगी लारवा खाद्य और मत्स्य खाद्य पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।

6) आर्टिमिया कृमिकोष, जिसमें आद्र आर्टिमिया भी है, पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।

7) सिलिकान शिलिकाएं उत्पादित करने के लिए सिलिकान वेफरों तथा उच्च विशुद्धता वाले ग्रेफाइट सहित/ग्रेफाइट पैक को विभाजित करने के लिए विनिर्दिष्ट श्रेणी के सौर संग्राहियों/हीटरों, इस्पात तारों में उपयोग के लिए उच्च पारगम्यता वाली कांच की प्लेटों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।

8) सेकरोपोलिस्परा स्पिनोसा पर आधारित जैव-नाशकजीवमार पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।

9) मेटकाक पर सीमाशुल्क को 10% की दर पर सुव्यवस्थित किया गया है। पहले यह सीमाशुल्क इस्पात/लौह मिश्र धातु बनाने में उपयोग के लिए 5% और अन्य के लिए 10% था।

10) रोकड़ वितरकों पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 15% कर दिया गया है।

11) कार्बन ब्लैक फीड स्टाक पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।

12) वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों और उपहारों पर सीमाशुल्क के लिए छूट संबंधी मूल्य सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है।

13) कास्टिक सोडा उद्योग में प्रयोग होने वाले एक या द्वि-ध्रुवीय झिल्ली इलेक्ट्रोलाइजर्ज, उनके भागों, झिल्ली प्रकोष्ठ पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।

14) पारदर्शिका के रूप में आयातित पुस्तकों, मैनुअलों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

15) सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों (डेवेलप की गई) पर सीमाशुल्क का निर्धारण, प्रिन्ट की बाबत उपगत प्रिन्ट, मालभाड़ा और बीमा प्रभारों की लागत के आधार पर करने का प्रस्ताव है।

16) हवाई यात्री रज्जू मार्ग परियोजनाओं को परियोजना आयात स्कीम के अधीन अधिसूचित किया गया है और इन पर कुल सीमाशुल्क 5% है।

वित्त विधेयक के माध्यम से परिवर्तनः

1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सीमाशुल्क पत्तनों/विमान पत्तनों/अन्तरदेशीय आधान डिपो, आदि को नियत करने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्तियों को बोर्ड को प्रत्यायोजित किया जा सके।

2) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 (1)(ख) में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि भांडागार में रखे गए मालों की देशी निकासी पर शुल्क की दर का अवधारण करने की सुसंगत तारीख वह होगी, जिस तारीख को देशी उपभोग के लिए एक्स-बांड प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

3) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25(2) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार की तदर्थ छूट आदेश जारी करने की शक्तियों को प्रत्यावर्तित किया जा सके।

4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि यदि उदग्रहणीय शुल्क की कुल रकम 100 रू. या उससे कम है तो शुल्क का संग्रहण नही किया जाएगा।

5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27(2) को किसी निर्यातकर्ता को, अनुचित समृद्धि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शुल्क और ब्याज के प्रतिदाय का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

6) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके।

7) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङ और धारा 28ज का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन सभी अधिसूचनाओं और सीमाशुल्क के रूप में प्रभार्य किसी अन्य शुल्क की बाबत अग्रिम विनिर्णय भी प्राप्त किया जा सकेगा। किसी विदेशी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी को अग्रिम विनिर्णय का फायदा उठाने की अनुज्ञा देने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि जलयान या वायुयान के पहुंचने से पूर्व और किसी यान के पहुंचने के 12 घंटे के भीतर आयात सूची देने का और यदि विलंब के लिए पर्याप्त कारण न हो तो 50,000 रू. से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध किया जा सके।

9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61(1) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों में उपयोग के लिए आशयित मालों (पूंजी मालों से भिन्न) की बाबत भांडागार में रखने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाएगा।

10) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61(2) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि भांडागारित मालों के लिए ब्याज मुक्त अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया जा सके।

11) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 68 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि किसी भांडागारित माल के स्वामी को, देशी उपभोग के लिए इन मालों की निकासी के लिए कोई आदेश किए जाने से पूर्व किसी समय किराया, आदि के संदाय पर माल पर अपने हक का त्याग करने में समर्थ बनाया जा सके। आयातकर्ता, अपने हक का ऐसा त्याग करने पर ऐसे माल पर शुल्क का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

12) इस समय, आयातकर्ताओं को ब्याज केवल तभी संदेय है जब अनुज्ञेय शुल्क वापसी का संदाय, वापसी का दावा फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75क(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि दो मास की इस अवधि को घटाकर एक मास किया जा सके।

13) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 113 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि शुल्क वापसी और यात्री सामान के मामलों में गलत घोषणा के मद्दे निर्यात मालों के अधिहरण के लिए विद्यमान उपबंध को अन्य मामलों पर भी विस्तारित किया जा सके। यह ऐसे निर्यात मालों के अधिहरण के लिए भी उपबंध करता है, जिनकी बाबत मूल्य अन्य तात्विक विशिष्टियों के संदर्भ में कोई गलत घोषणा की गई है।

14) धारा 114 का, प्रतिषिद्ध और अप्रतिषिद्ध दोनों प्रकार के मालों को अंतर्वलित करने वाले निर्यात संबंधी अपराधों के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

15) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 122 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त/उपायुक्त की न्यायनिर्णयन की शक्तियों को, 50,000 रुपए की विद्यमान सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सके। इसी प्रकार सीमाशुल्क सहायक आयुक्त से निम्न पंक्ति के किसी सीमाशुल्क राजपत्रित अधिकारी की न्यायनिर्णयन की शक्तियों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

16) सीमाशुल्क अधिनियम का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के तारीख 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् पारित आदेशों के विरूद्ध फाइल की जाने वाली अपीलों की बाबत, उच्च न्यायालय, मामले को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की बजाय विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा।

17) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि मूल्य की गलत घोषणा और कपटपूर्ण निर्यात के मामलों में अभियोजन का उपबंध किया जा सके।

18) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 136 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि ऐसे अधिकारियों के अभियोजन के लिए उपबंध किया जा सके जो ऐसे किसी कार्य या बात को मौनानुमति देते हैं जिसके द्वारा कोई कपटपूर्ण निर्यात किया जाता है।

19) जहां अनुज्ञप्तिधारक गुजरात में भूकम्प से प्रभावित हुए थे वहां विनिर्दिष्ट निर्यात संवर्धन पूंजी माल अनुज्ञप्ति के निबंधनों में निर्यात बाध्यताओं को पूरी करने की समयावधि को 31.3.2004 तक बढ़ाया जा रहा है।

20) निर्यात संवर्धन स्कीमों के संबंध में, विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं की बाबत ब्याज दर को भूतलक्षी प्रभाव से कम करके 15% किया जा रहा है।

21) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का, तारीख 1.3.2002 से यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना के लिए, केवल आयातित माल का मूल्य, जिसके अंतर्गत उतराई प्रभार और उक्त माल पर प्रभार्य सीमाशुल्क भी है, गणना में लिया जाएगा। प्रतिपाटन शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आदि जैसे अन्य शुल्कों को गणना में नहीं लिया जाएगा।

22) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क का, तारीख 1.3.2002 से यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना के लिए, केवल आयातित माल का मूल्य, जिसके अंतर्गत उतराई प्रभार, उक्त माल पर प्रभार्य सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क भी है, गणना में लिया जाएगा। प्रतिपाटन शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आदि जैसे अन्य शुल्कों को गणना में नहीं लिया जाएगा।